न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 127 / 2020 दायरा दिनांक : 15.12.2020

उनवान

1– मांगीलाल आत्मज श्री देवीलाल जी, जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम पटपडी मजरा बमोरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी मकान नम्बर 132–बी, केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा

2– जमना बाई उर्फ भूली बाई पत्नी श्री देवीलाल जी, जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम पटपडी मजरा बमोरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां हाल निवासी मकान नम्बर 132–बी, केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपाल आत्मज श्री किशोर जी, जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम पटपडी मजरा बमोरी, पोस्ट माऊपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां – 325221

2– रामलाल आत्मज श्री किशोर जी, जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम पटपडी मजरा बमोरी, पोस्ट माऊपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां – 325221

3– पाना बाई पत्नी श्री किशोर जी, जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम पटपडी मजरा बमोरी, पोस्ट माऊपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां – 325221

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब छीपाबडोद, जिला बारां

5– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर, बारां जिला बारां

6– भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग, जवाहर कालोनी, झालावाड़

7– भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग, कार्यालय जिलाधीश बारां, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रामबाबू मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.07.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 63/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम खरण तहसील छीपाबडोद की खसरा नम्बर 236 रकबा 77 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 298/244 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 301/243 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 304/240 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 307/239 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 310/236 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 313/238 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 7 किता की 102 बीघा 5 बिस्वा आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण अपीलांट के पिता व पति श्री देवीलाल द्वारा ठिकाना सारथल से दावा दायरी के 60 वर्ष पूर्व दी गई भूमि अनुदान में से 2 बीघा भूमि का रूपया प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता व पति किशोर को अदा कर वादी अपीलांट नम्बर 1 के पिता व वादी अपीलांट नम्बर 2 के पति श्री देवीलाल ने उपरोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था तथा भूमि को काबिज काश्त बनाया था । देवी लाल अपने जीवनकाल तक काबिज रहे उनकी मृत्यु के बाद वादीगण अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज हुए । उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में से 5 बीघा भूमि दिनांक 16.05.75 को वादी अपीलांट नम्बर 1 के पिता व वादी अपीलांट नम्बर 2 के पति देवीलाल प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 ता 3 के पिता/पति किशोर से 900/– रूपये अक्षेर नौ सौ रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । तब से देवीलाल अपने जीवनकाल तक निरन्तर बहैसियत वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहे उसकी मृत्यु उपरान्त अपीलांट उक्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । एडवर्स पजेशन के आधार पर भी देवीलाल एवं अपीलांट उपरोक्त भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये हैं। वादीगण अपीलांट को उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अदम दरामद किया जावे । उपरोक्त भूमि विभाजन में वादीगण अपीलांट को दी जावे । विवादित आराजी परवन वृहत सिंचाई परियोजना में अधिग्रहण की जानी है । अतः प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त आराजियात अधिग्रहण होने पर मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं करें और प्रतिवादी नम्बर 6 मुआवजा राशि का भुगतान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट का दावा खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आंशिकरूप से स्वीकार कर विवादित आराजी वाके ग्राम खरण तहसील छीपाबडोद की खसरा नम्बर 236 रकबा 77 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वाद मुक्त किये जाने का अर्थात् उक्त आराजी बाबत दावा वादीगण अपीलांट खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 77 बीघा 1 बिस्वा भूमि एवं दीगर वाद विषयक आराजी कुल 102 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम खरण तहसील छीपाबडोद परवन वृहत सिंचाई परियोजना (अकावद डेम) हेतु अवाप्त की जा चुकी है एवं मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है । वादीगण अपीलांट उपरोक्त 7 बीघा वाद विषयक भूमि पर गत कई वर्षों से निरन्तर बहैसियत क्रेता काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा मुआवजे की राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं । हक घोषणा खातेदारी एवं विभाजन आराजी का दावा कानूनन आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2020 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.11.2020 में आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजी वाके ग्राम खरण, तहसील छीपाबडोद में खसरा नम्बर 236 रकबा 77 बीघा 01 बिस्वा को वाद मुक्त कर दिया । अपीलांट का कथन है कि सी. पी. सी. में वाद मुक्त भूमि का कहीं प्रावधान नहीं है । साथ ही नजीर आर. बी. जे. 2019 पेज 716 प्रस्तुत कर कथन किया कि आर्डर 7 नियम 11 का वाद सम्पूर्ण रूप से खारिज किया जा सकता है, न कि आंशिक रूप से । नजीर आर. आर. टी. 2019 (1) पेज 917 में स्पष्ट किया गया है । SUIT FOR DECLARATION CANNOT BE DISMISSED AT PRELIMINARY STAGE U/ORDER 7, RULE 11. चूंकि वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है । अतः यह नजीर भी यहां चस्पा होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में विधिनुसार जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर, साक्ष्य आदि लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा